



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राज0  
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.  
166 / 2024

तारीख दायर  
15 / 10 / 2024

तारीख फैसला  
21 / 04 / 2025

1. फैलीराम पुत्र शंकरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सरजोली तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. रामूलाल पुत्र छोटूराम
2. बाछूराम उर्फ बाबूलाल पुत्र शंकरलाल
3. लादी पत्नि शंकरलाल
4. श्रवणलाल पुत्र शंकरलाल
5. सरदार पुत्र शंकरलाल
6. समस्त जाति गुर्जर समस्त निवासी ग्राम सरजोली तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।
7. शिमला देवी पत्नी कैलाशचन्द्र जाति मीना निवासी ग्राम सरजोली तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिए उप पंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक

श्री पुष्पेन्द्र शर्मा :- वकील वादी।

श्री किशन लाल :- वकील प्रतिवादी सं0 1 व 6

श्री शंशाक चतुर्वेदी :- वकील प्रतिवादी सं0 2, 3, 4, 5

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा-53, 188 आर0टी0एक्ट

-: निर्णय :-

वादी की ओर से एड0 श्री पुष्पेन्द्र शर्मा ने यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 109 रकबा 1.2100 है0 स्थित ग्राम सरजोली, पटवार हल्का नेवर, तहसील आंधी, जिला जयपुर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नही कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस-नरस के अनुसार हक व हिस्से को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावे। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 28.11.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार आंधी ने कुर्रैजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट पर वकील प्रतिवादी सं0 1 व 6 ने आपत्ति कुर्रैजात पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी ने आपत्ति

कुर्रैजात  
जमवारामगढ़

पर जवाब पेश कर बहस की। वकील उभय पक्षों की बहस आपत्ति कुर्रजात पर सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन कर आपत्ति कुर्रजात खारिज की गई। पत्रावली में प्राप्त कुर्रजात को स्वीकार किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम सरजोली, पटवार हल्का नेवर, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

खाता संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है०	किस्म	लगान
194	फैलीराम पुत्र शंकरलाल हि० 1/20, बाछूराम उर्फ बाबूलाल पुत्र शंकरलाल हि० 1/20, रामूलाल पुत्र छोटूराम हि० 1/10 राहिन हि० 1/10 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ इंडिया शाखा कानोता, लादी पत्नी शंकरलाल हि० 3/10 राहिन हि० 3/10 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बस्सी, श्रवणलाल पुत्र शंकरलाल हि० 1/20 समस्त जाति गुर्जर सा०देह खातेदार, शिमला देवी पत्नी कैलाश चन्द हि० 3/5 जाति मीना सा०देह खातेदार, सरदार पुत्र शंकरलाल हि० 1/20 जाति गुर्जर सा०देह खातेदार।	109	1.2100	चाही	—
	योग	किता 1	1.2100	—	—


—: प्रस्तावित :—

क्र० सं०	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है०	किस्म	लगान
1	फैलीराम पुत्र शंकरलाल हि० 1/10, बाछूराम उर्फ बाबूलाल पि० शंकरलाल हि० 1/10, श्रवणलाल पि० शंकरलाल हि० 1/10, सरदार पि० शंकरलाल हि० 1/10, लादी पत्नी शंकरलाल हि० 6/10 राहिन हि० (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बस्सी, समस्त जाति गुर्जर, सा०देह खातेदार।	109	0.6000	चाही 2	—
	योग	किता 1	0.6000	—	1—
2	शिमला देवी पत्नी कैलाश चन्द हि० 4/5 जाति मीना सा०देह खातेदार, रामूलाल पि० छोटूराम हि० 1/5 जाति गुर्जर सा०देह राहिन हि० (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ इंडिया शाखा कानोता।	109/2	0.6000	चाही 2	—
	योग	किता 1	0.6000	—	—
3	शामलाती	109/1	0.0100	गै.मु. रास्ता	—
	योग	किता 1	0.0100	—	1—

सुपरीकृत अधिकारी  
जयपुरासमक जिला-जयपुर

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुकम इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 21/04/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
मुख्य अधिकारी  
राजशासकीय न्यायालय  
राजशासकीय न्यायालय